तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1270 / 2006 / दौसा** **रामस्वरूप बनाम गोपी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री अजीत लोढ़ा, अधिवक्ता प्रार्थी
(2) श्री अशोक बटवाल अधिवक्ता, अप्रार्थी

दिनांक : 11–03–2024

निर्णय

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा प्रकरण संख्या 182 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 09–01–2006 के विरूद्ध धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा दिनांक 27–10–2001 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 09–01–2006 द्वारा स्वीकार कर लिया। उनका तर्क है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 31–01–2000 को अपना जवाब दावा प्रस्तुत कर दिया गया था परन्तु उक्त तथाकथित गोदनामा दिनांक 04–07–1943 एवं भू–प्रबंध अधिकारी का फैसला दिनांक 12–07–1993, जो कि उनकी जानकारी एवं कब्जे में था, उक्त जवाब दावे के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। उनका यह भी तर्क है दिनांक 03–11–2003 को विपक्षीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी दस्तावेजात के साथ पेश किया था। जिस पर बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने दिनांक 25–03–2004 को विपक्षीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1270 / 2006 / दौसा** **रामस्वरूप बनाम गोपी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कर दिया जिसके विरूद्ध विपक्षीगण द्वारा कोई चाराजोही नहीं की गई। तत्पश्चात् विपक्षीगण द्वारा पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी दिनांक 27–10–2005 को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया जिसे पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी दिनांक 03–11–2003 का हवाला जान–बूझकर नहीं दिया गया। उनका तर्क है कि जब उन्हीं दस्तावेजों बाबत प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र को दिनांक 25–03–2004 को खारिज कर दिया गया था तो उन्हीं संबंधित दस्तावेजों बाबत नया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी पेश करने से विपक्षीगण कानूनन स्टोप्ड थे। फिर भी विचारण न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु पर गौर न कर आक्षेपित निर्णय दिनांक 09–01–2006 द्वारा विपक्षीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। इस कारण निगरानीधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09–01–2006 को निरस्त किया जावे। अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण साक्ष्य वादी में चल रहा है। पूर्व में विचारण न्यायालय में अप्रार्थी के दूसरे वकील थे जिन्होंने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजात पेश नहीं किए थे जिस कारण वह प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था। दावे में तनकी नं0 2 व 3 को साबित करने का भार अप्रार्थी / प्रतिवादी पर है। अतः प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेज पेश किये गये हैं वे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो प्रकरण के समुचित न्याय–निर्णयन हेतु सहायक हैं। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा न्यायहित में उन्हें रेकार्ड पर लिये जाने का जो आदेश पारित किया गया है, वह न्यायोचित है। अतः	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1270 / 2006 / दौसा** **रामस्वरूप बनाम गोपी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यह निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे। विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 09–01–2006 द्वारा अप्रार्थी / प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1–ए सीपीसी को 1000 / –रूपए की कोस्ट पर स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात को रेकार्ड पर लिये जाने के आदेश दिये हैं। अप्रार्थी / प्रतिवादी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं उनमें एक दस्तावेज न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 12–07–1993 की सत्य प्रतिलिपि है एवं दूसरा दस्तावेज असल लिखावट बाबत गोदनामा दिनांक 04–07–1943 है, जो कि प्रकरण से संबंधित दस्तावेज हैं एवं इन दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने से न्यायालय को प्रकरण के न्यायसंगत निस्तारण में मदद मिलेगी। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने न्यायहित में उक्त दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने का जो निर्णय दिनांक 09–01–2006 पारित किया है, वह न्यायोचित है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निगरानी खारिज की जाती है एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09–01–2006 बहाल रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	